संख्या : डी:12011/1/2015-चिकित्सा/प्रशासन/ **दिनांक : 21 अप्रैल, 2015**

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
उत्तरी/ पश्चिमी/ पूर्वी/ दक्षिणी/ उत्तर-पूर्वी/
दिल्ली/ मुंबई/ कोलकाता/ चेन्नई/ गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक
आरसीडीयू/ सीआरएसडी/ एफआईयू/ आईए
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
कोलकाता/ चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य,
सीएटीसी, इलाहाबाद

महाप्रबंधक
सीआरएसडी/ ई व एम वर्कशॉप
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली

निगमित प्रशासनिक परिपत्र सं – 03/2015

विषय : भा.वि.प्रा. कर्मचारियों [सेवारत/ सेवानिवृत्त] हेतु श्रवण साधन/ सीपीएपी/ बीआईपीएपी मशीनों आदि की खरीद।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सं ए.60011/4/2003-पीपी दिनांक 23-05-2005 व ए.60011/26/2014-एचआरपीसी दिनांक 22-07-2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा भा.वि.प्रा. के सभी कर्मचारियों [सेवारत/ सेवानिवृत्त] के कल्याण हेतु श्रवण साधन/ सीपीएपी/ बीआईपीएपी मशीनों आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद की लंबी प्रक्रिया को समाप्त कर निम्नलिखित सरल प्रक्रियाओं को प्रयोग में लाने का निर्णय लिया गया है :-

- कार्मिकों को वर्तमान प्रक्रिया में 02 (दो) ईएनटी विशेषज्ञों से प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करने की बजाय भा.वि.प्रा. के पैनल अस्पताल या किसी सरकारी अस्पताल के केवल 01 (एक) ईएनटी विशेषज्ञ से प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करना होगा जिसमें खरीदी जाने वाली मशीन का विशिष्ट मॉडेल और ऑडियोलॉजीकल मूल्यांकन रिपोर्ट/ पर्ची रिपोर्ट होनी चाहिए।
- कार्मिकों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर श्रवण साधन/ सीपीएपी/ बीआईपीएपी का नमूना देखने के उपरांत दरें प्राप्त की जा सकती हैं।
- क्षेत्रीय मुख्यालय/ विमानपत्तन निदेशक के प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित चिकित्सा अनुभाग के साथ परामर्श के उपरांत इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी तथा प्रचलित सीजीएचएस दर **[सीजीएचएस दरों में संशोधन होने के अधीन]** या वास्तविक दर, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा तथा श्रवण साधन की संबंधित मॉडेल की दर सीजीएचएस दर से अधिक होने पर संबंधित कर्मचारी को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
- कर्मचारी [सेवारत/ सेवानिवृत्त] को अतिरिक्त राशि [निर्धारित सीजीएचएस दरों से अधिक होने पर] का भुगतान चेक के माध्यम से भा.वि.प्रा. के खाते में करना होगा तथा भा.वि.प्रा. द्वारा मशीन की कुल दर [निर्धारित सीजीएचएस दर + कर्मचारी द्वारा वहाँ की जाने वाली राशि सहित] खाते में देय चेक के माध्यम से उस आपूर्तिकर्ता के नाम पर किया जाएगा जिससे मशीन खरीदी जानी है। सीजीएचएस के नवीनतम आदेशों के अनुसार उपर्युक्त मशीनों की मौजूदा दरें निम्नानुसार हैं :

श्रवण साधन

कान में पहना जाने वाला/ पॉकेट में रखा जाने वाला	:	₹ 2,500/-
एनालॉग बीटीआई	:	₹ 7,000/-
डिजिटल बीटीआई	:	₹ 20,000/-
आईटीसी/ सीआईसी	:	₹ 25,000/-
सीपीएपी मशीन	:	₹ 50,000/-
बीआईपीएपी	:	₹ 1,00,000/-

सीजीएचएस की उपर्युक्त दरें भविष्य में सीजीएचएस द्वारा संशोधन के अधीन है।

कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त मशीन खरीदे जाने पर उसका अनुरक्षण संबंधित कर्मचारी द्वारा किया जाएगा तथा कर्मचारी के लिए मशीन की उपयोगिता समाप्त होने पर कर्मचारी द्वारा उसे लौटाने की वचनबद्धता देनी होगी।

-ह०-
(टी. प्रेमनाथ)
कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)

आंतरिक वितरण :

- उप महाप्रबंधक (ईएस) – अध्यक्ष
- सहायक महाप्रबंधक (ईए) – सदस्य (योजना)/ सहायक महाप्रबंधक (ईए) – सदस्य (एएनएस)/ उप महाप्रबंधक (ईएस) – सदस्य (प्रचालन)/ उप महाप्रबंधक (ईएस) – सदस्य (वित्त)
- सभी विभागाध्यक्ष
- महाप्रबंधक (आईटी) – भा.वि.प्रा. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
- सूचनापट्ट